- **<u>बीआरकेजीबी – आवास ऋण योजना</u>**

<table>
<tr><td>1</td><td><u>पात्रता</u></td><td colspan="2">कृषक, दस्तकार, व्यापारी, वेतनभोगी कर्मचारी, स्वनियोजित व्यक्ति जिनकी ऋण आवश्यकताऐं व ऋण पुनर्भुगतान क्षमता से बैंक संतुष्ट हो एवं जो ऋण लेने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करते हो।<br>वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी का अपनी सेवाओं में स्थायी होना अनिवार्य होगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>उद्देश्य</td><td colspan="2">I. आवासीय मकान/फ्लैट को क्रय करने/आवासीय मकान निर्माण हेतु<br>II. आवासीय भूखण्ड क्रय कर उस पर आवसीय मकान निर्माण हेतु<br>• निर्मित मकान/आवास के क्रय के मामले मे 20 वर्ष से अधिक पुराने मकान का क्रय करने का प्रस्ताव स्वीकार्य नही होगा।<br>• आवासीय भूखण्ड क्रय कर उस पर निर्माण हेतु मामले मे आवास का निर्माण भूखण्ड क्रय करने की तिथि से 3 वर्ष तक की अवधि के दौरान/अथवा विकास न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा अनुमत अवधि, दोनों मे से जो भी कम हो, मे होना आवश्यक है।<br>• कुल आवास ऋण राशि (भूखण्ड क्रय मूल्य + निर्माण लागत) के आनुपातिक आधार पर भूखण्ड क्रय करने हेतु ऋण स्वीकृत/वितरित किया जाये। <u>स्वीकृत कुल ऋण राशि का अधिकतम 60% भूखण्ड क्रय करने हेतु स्वीकृत किया जा सकता है।</u><br>• यदि ऋणी भूखण्ड क्रय कर, उस पर निर्धारित अवधि में आवास का निर्माण नहीं कराता है तो, उस ऋण खाते में प्रथम वितरण से वाणिज्यक ब्याज दर प्रभारित की जायेगी।<br>• यदि ऋणी भूखण्ड क्रय कर, उस पर निर्धारित अवधि से पूर्व आवास ऋण खाता समायोजित कराता है तो, उस ऋण खाते में प्रथम वितरण से वाणिज्यक ब्याज दर प्रभारित की जायेगी।<br>• केवल आवासीय भूखण्ड क्रय करने हेतु प्राप्त ऋण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।<br>• ऐसे मामले जहां भूखण्ड क्रय करना प्रस्तावित हो और मकान बाद में अन्य ऐजेन्सीयों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर निर्माण प्रस्तावित हो ऋण नही दिया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ऋण सीमा व ऋण राशि</td><td colspan="2">आवेदक की वार्षिक आय, ऋण पुर्नभुगतान क्षमता, उम्र, आश्रितों की संख्या, उसकी आस्तियां एवं देनदारियों आदि को ध्यान में रखा जायेगा।<br>I. आवेदक की सकल वार्षिक आय का 5 गुना<br>या<br>II. शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र : ₹ 60.00 लाख<br>ग्रामीण क्षेत्र : ₹ 15.00 लाख<br>(उक्त में से जो भी कम हो)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">मार्जिन</td><td>₹ 30.00 लाख तक</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>₹ 30.00 लाख से अधिक</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>प्रतिभूतियां</td><td colspan="2">1. अग्रिम के लिए प्रमाणिक प्रतिभूति के रूप मे क्रय/निर्माण किये जाने वाली गृह सम्पति को साम्यिक बंधक रखा जायेगा।<br>2. पर्याप्त हैसियत (न्यूनतम ऋण राशि के बराबर) वाले जमानतदार/जमानतदारों की जमानत ली जायेगी।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ब्याज दर</td><td colspan="2">ब्याज दर बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप</td></tr>
<tr><td>7</td><td>ऋण भुगतान अवधि</td><td colspan="2">मोरेटोरियम पीरियड सहित ऋण भुगतान की अधिकतम अवधि 30 वर्ष रहेगी।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>सेवा प्रभार</td><td colspan="2">समय – समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार प्रभावी।</td></tr>
</table>